

## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांक: बेसिक/उ0प्रा0वि0 मान्यता/२५४६९

/2018-19 दिनांक।.पि./०३.../2019

प्रबन्धक,

ए०पी०एस० इण्टरनेशनल स्कूल उज्ज्ञानी  
विक्षेप उज्ज्ञानी (बदायूँ)

आपके आवेदन दिनांक 15.02.2019 द्वारा अपने विद्यालय ए०पी०एस० इण्टरनेशनल स्कूल, उज्ज्ञानी, बदायूँ जिसे इस कार्यालय के पत्रांक: शि०स०/1775-79/2013.14 दिनांक 31.05.2014 द्वारा प्री-प्राइमरी से कक्षा-08 तक की अंग्रेजी माध्यम से दिनांक 01.07.2013 से 30.06.2016 तक अरथाई मान्यता प्रदान की गयी थी, को रथाई मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

शासनादेश सं0: 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के बिन्दु सं0-15 "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपचारिक मान्यता 03 वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है, तो 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को रथाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।" अतः आपके विद्यालय के विरुद्ध 03 वर्ष में किसी प्रतिकूल तथ्य के संज्ञानित न होने सम्बन्धी प्रस्तुत शपथ पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, उज्ज्ञानी की आख्या के आधार पर शासन/विभाग द्वारा विद्यालयों को मान्यता के सम्बन्ध में लिये जाने वाले अग्रिम निर्णयों के अधीन शासनादेश दिनांक 08.05.2013 के बिन्दु सं0-15 के अन्तर्गत मान्यता मान्य रहेगी।

(रामपाल सिंह राजपूत)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बदायूँ।

Old

कार्यालय जिला वेरिकेश शिक्षा अधिकारी, बदायूँ (उत्तर-प्रदेश)  
पत्रांक : शिव्या०/ १७८५-७९ / २०१३-१४ दिनांक : ३१-०५-२०१५

रोका गे।

प्रवर्धक,

रु.पी.स्कू.इन्टर्नॉशनल स्कूल उम्हानी  
(अंग्रेजी माध्यम)  
(१८५)

पिपय: निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की घारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्ति-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख २७.५.२०१३ के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ प्रश्नात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश रो. गैं..... जिला वेरिकेश शिक्षा अधिकारी, बदायूँ को रु.पी.स्कू.इन्टर्नॉशनल स्कूल उम्हानी (बदायूँ) को तारीख 01 जुलाई 2013 से तारीख 30 जून 2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कहा... नर्सरी... से कक्षा... 8... तक के लिए जननियम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 3 के प्रश्नात्मकारी/संवधान करने के लिए कोई वाध्यता विविदित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपवंश-1) और विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपवंश-2) के उपवंशों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 में उस कक्षा में वालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोर के कमज़ोर वर्गी और सुविधा विहीन समूह के वालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा 3 में निर्दिष्ट वालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की घारा 12 की उपवारा(2) के उपवंशों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खोता रखेगा।
- 5 शोसारी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वालक का उसके पाता-पिता या संरक्षक को किसी रकीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी वालक को, उसकी आयु का संबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की घारा 15 के उपवंशों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

Principal  
APS International School  
Ujjain (Budaun)

//Praveen/Manya

o

*Milash*  
MANAGER  
APS INTERNATIONAL SCHOOL  
UJJAIN (U.P.)

फृष्ट: ... 2 पृ

४

-2-

- 2- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उपीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- 3- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- 4- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- 5- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- 6- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यालय अध्यापक, जिनके पारा इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अर्जित करेंगे।
- 7- अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- 8- अध्यापक खवयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7- विद्यालय रामुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के गानकों और संनियगों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के साथ रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- |  |                    |
|--|--------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल  | १७३०.५१ एकड़ी      |
| कुल निर्मित क्षेत्र  | १११६.५० एकड़ी      |
| कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल  | ५०१.०० एकड़ी       |
| कक्षाओं की संख्या  | १७                 |
| प्राध्यापक-सह कार्यालय-राह भण्डरागार के लिए कक्ष ०५  |                    |
| वालक और वालिकाओं के लिए पृथक शौचालय  | १५+१५=३०           |
| पेयजल सुविधा   | एसएसीवील + झार छो. |
| मि-डे मील पकाने के लिए रसोई  | ५                  |
| वाघारहित पंहुच   | ५                  |
| अध्यापन पठन रामग्री/कीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुरतकालय की उपलब्धता।   | ५०५८५५५५           |
| 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कराएं नहीं चलाई जायेगी।   | पर्याप्त           |
| 10- विद्यालय भवनों या अन्य रांचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।  |                    |
| 11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है। |                    |
| 12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के सामूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।   |                    |
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कराएं नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य रांचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के सामूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

Principal  
APS International School  
Ujhani (Budaun)  
//Praveen/Manyta

Manager  
APS INTERNATIONAL SCHOOL  
UJHANI, BUDAUN (U.P.)

क्रमांक: ..... 3 पर

- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी पार्टड एकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुराग तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक ०५/२०१३-१५... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो रामय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कगियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 16- सोरायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राज्ञात/प्रगाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ रांगन कर प्रेषित किए गये हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गये हैं उन्हों गविष्य में कोई त्रुटि अथवा अरात्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता खतः समाप्त हो जायेगी।

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी  
वदायू।

पृष्ठा : शिरो/

/2013-14 तदृदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में रूचनार्थ प्रेषित :-

1. राहायक शिक्षा निदेशक (वेरिक), वरेली गण्डल, वरेली।
2. उप वेसिक शिक्षा अधिकारी, वदायू।
3. रामन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी।
4. समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी  
वदायू।

Principal  
APS International School  
Ujhani (Budaun)

//Praveen/Manyta

MANAGER  
APS INTERNATIONAL SCHOOL  
UJHANI, BUDAUN (U.P.)